न्यायालय अपर तहसीलदार सदर, देहरादून

9569

वाद सं० ~~9569~~/2018

मौजा- क्यारकुली भट्टा
धारा 34-एल०आर०एक्ट

निर्णय

सबरजिस्ट्रार के प्रार्थना पत्र पर यह वाद दायर हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद निर्विवाद हैं क्योंकि इश्तहार जारी होने पर कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध सरिश्ता रिपोर्ट, आख्या लेखपाल, नकल खतौनी, विक्रय पत्र एव क्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामान्तरण का आदेश पारित किया जाना उचित है।

आदेश

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2018 मूल्य 4,00,000/-रूपये मौजा क्यारकुली भट्टा ,खतौनी संख्या-106 खसरा न0 1227 रकबा 0.0040है०, खसरा न0 1275 रकबा 0.0120है०, कुल रकबा 0.0160है०, मालगुजारी- परता रेट विक्रेता-श्री रतन सिंह पुत्र स्व० श्री भाव सिंह निवासी क्यारकुली भट्टा मसूरी जिला देहरादून का नाम खारिज होकर क्रेता-श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी क्यारकुली भट्टा, मसूरी जिला देहरादून का नाम दर्ज होवे।

देय है। वाद वसूली तावान होवे पत्रावली वाद अमल

ताबान

दरामद दाखिल दफ्तर होवे।

[signature] 16/2/18

अपर तहसीलदार सदर

देहरादून

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5376
2018

विक्रय पत्र

क्रमांक : A19189

वांछित विवरण

1. मालियत विक्रय पत्र – 4,00,000/– रूपये
2. बाजारी मूल्य, जिस पर स्टाम्प दिया गया – 9,60,000/– रूपये
3. कुल स्टाम्प जो दिया गया –48,000/– रूपये
4. पूर्व में पक्षकारों के मध्य कोई पंजीकृत इकरारनामा नहीं है।
5. सर्किल रेट– विक्रीत भूमि का सर्किल रेट 6,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर है तथा मुख्य मसूरी मार्ग से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
6. स्थान–ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून।
7. भूमि का प्रकार – भूमिधरी भूमि ।
8. विवरण भूमि – एक खुला भूखण्ड भूमिधरी भूमि खाता सं0 106 खसरा संख्या 1227 क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टेयर 40 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 1275 रकबा 0.0120 है0 अर्थात् 120 वर्गमीटर अर्थात् कुल रकबा 0.0160 है0 अर्थात् 160 वर्गमीटर स्थित मौंजा क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

9- विक्रेता का नाम व पता– श्री रतन सिंह पुत्र स्व0 श्री भाव सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

विक्रेता का आधार नं0– 8399 0183 6593

10. क्रेता का नाम व पता– श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

क्रेता का पैन नं0– **AWYPS8368R**

11. कुल स्टाम्प शीट संख्या–01 **E-Stamp**

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

फोटोग्राफ एक खुला भूखण्ड भूमिधरी भूमि खाता सं0 106 खसरा
संख्या 1227 क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टेयर 40 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 1275
रकबा 0.0120 है0 अर्थात् 120 वर्गमीटर अर्थात् कुल रकबा 0.0160 है0
अर्थात् 160 वर्गमीटर, स्थित मौजा क्यारकुली भट्टा, परगना
केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

विकेता— श्री रतन सिंह

क्रेता — श्री. रमेश सिंह कठैत

रतन सिंह

ह0 विक्रेता

Ramesh Singh

ह0 क्रेता

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

5376
2018

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK78420985653748Q
Certificate Issued Date	:	09-Aug-2018 02:36 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1200704/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK12007045814535811129Q
Purchased by	:	RAMESH SINGH KATHAIT
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUZA KYAR KULI BHATTA DDUN
Consideration Price (Rs.)	:	4,00,000 (Four Lakh only)
First Party	:	RATAN SINGH
Second Party	:	RAMESH SINGH KATHAIT
Stamp Duty Paid By	:	RAMESH SINGH KATHAIT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	48,000 (Forty Eight Thousand only)

श्रीमती रचना गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
कचहरी देहरादून

Please write or type below this line

रतनसिंह

Ramesh Singh

0004317911

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 5376 वर्ष 2018

Sale (Immovable)
Sale(Residential Plot)

प्रतिफल रु0 : 400,000.00
मालियत रु0 : 960,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 19,200.00	रु0 10.00	रु0 240.00	रु0 19,450.00	1,000

श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम क्यारकुली भट्टा परगना केंद्रीयदून तहसील व जिला देहरादून ने आज दिनांक 09 Aug 2018 समय मध्य 3PM व 4PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया ।

रमेश सिंह कठैत

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
09-Aug-2018

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री रतन सिंह पुत्र श्री स्व भाव सिंह निवासी ग्राम क्यारकुली भट्टा परगना केंद्रीयदून तहसील व जिला देहरादून । ने विक्रय धन मुबलिग रु0 400,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम क्यारकुली भट्टा परगना केंद्रीयदून तहसील व जिला देहरादून । ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री स्व शेर सिंह रावत निवासी मसूरी झील ग्राम क्यारकुली भट्टा जिला देहरादून तथा श्री राजेश सिंह अधिवक्ता पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी कोर्ट कंपाउंड देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
09-Aug-2018

Scanned with CamScanner

विक्रय पत्र

श्री रतन सिंह पुत्र स्व0 श्री भाव सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

.............विक्रेता

एवं

श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

.............क्रेता

विदित हो कि विक्रेता विक्रीत भूमि का भूमिधर मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी चला आ रहा है। विक्रीत भूमि विक्रेता के नाम विरासत से उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज है।

विक्रीत भूमि इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धन, रहन, सरकारी व गैर सरकारी कर्जा, सीलिंग अधिग्रहण, वाद–विवाद व किसी न्यायालय की लम्बित प्रक्रिया आदि से पूर्णरूप से मुक्त व रहित है तथा विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को बेचने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त है तथा भूमि के विक्रय अन्तरण करने में कोई कानूनी अड़चन व बाधा नहीं है।

जो कि विक्रेता ने अपनी निम्न वर्णित भूमि अपने हर प्रकार के भार, बन्धनों से मुक्त व रहित अपने स्वस्थ मन बुद्धि से बिना किसी सिखलाये, बहकावे व बिना किसी अनुचित दबाव के अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बदस्त श्री **रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड,** को मु0 **4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये मात्र)** में पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है तथा पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है:–

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क– मु0 2,00,000/–रूपये द्वारा चैक सं0 489730 दिनांक 09.08.2018, भारतीय स्टेट बैंक, मसूरी, जिला देहरादून।

ख– मु0 2,00,000/–रूपये पूर्व में नगद प्राप्त।

इस प्रकार से कुल विक्रय मूल्य की प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है। विक्रय मूल्य की बाबत अब कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

कब्जा विक्रेता ने नीचे सूची में वर्णित विक्रीत भूमि से अपना वास्तविक एवं मालिकाना हटाकर व उठाकर अपने सामने क्रेता का मौके पर करा दिया है, जो–जो अधिकार एवं सुखाधिकार विक्रेता को विक्रीत भूमि में वास्ते भूमिधरी, मालिकाना, रास्ता, नाली, पानी, हवा, रोशनी आदि–आदि की बाबत प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव हों उन सबका एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी आज से क्रेता हो गया है।

क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि पर मानचित्र स्वीकृत कराये, उसमें निर्माण करें, उसे स्वयं रखें या किसी को विक्रय, अन्तरण करें, दान करे, बन्धक रखें, जिस प्रकार से चाहे उसका उपयोग व उपभोग करे, अपनी इच्छानुसार उससे लाभ उठावें, इसमें विक्रेता व उनके किसी भी उत्तराधिकारी, वारिसान को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यदि भविष्य में विक्रेता के कब्जे, स्वामित्व व अधिकार दोष के कारण विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे, स्वामित्व व अधिकार से निकल जाये या क्रेता को कोई हानि सहन करनी पडे तो ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकले हुए भाग भूमि की कीमत मय अपना हर्जा–खर्चा सहित विक्रेता व उनकी चल– अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें, इसमें विक्रेता व उनके किसी उत्तराधिकारी, वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्रेता को अधिकार होगा कि वह कागजात माल से विक्रेता

Scanned with CamScanner

का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी दर्ज करा लें। यदि क्रेता को अपने अधिकार स्वामित्व व अधिकार अन्तरण की पुष्टि के लिए अन्य कोई लेख लिखाने या बयान देने की आवश्यकता होगी तो ऐसी समस्त कार्यवाही विकेता, क्रेता के व्यय पर सम्पादित कर देंगे।

यह कि इस विक्रय पत्र में प्रयुक्त शब्द "विकेता " एवं "क्रेता " में दोनों पक्षों के अपने–अपने उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व हित प्रतिनिधि का भी समान रूप से समावेश माना व समझा जायेगा।

वांछित विवरणः—

1. यह कि विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
2. यह कि नीचे सूची में वर्णित भूमि की बाबत पक्षकारों के मध्य कोई भी पंजीकृत अनुबन्ध पत्र सम्पन्न नहीं हुआ है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर कोई बाग, पेड़ व निर्माण नहीं है।
4. यह कि विक्रीत भूमि भूमिधरी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस भूमि का जमींदारी अविनाश क्षेत्र खेवट सं0 65 या कुंवर रघुप्रताप से कोई सम्बन्ध नहीं है। विक्रीत भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत भूमिधरी भूमि है। खेवट–65 नॉन जैड0ए0 की भूमि नहीं है।
5. यह कि क्रेता के पिता के पास उत्तरांचल राज्य में 12.09.2003 से पूर्व अर्जित सम्पत्ति है तथा क्रेता उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154(3) के अन्तर्गत निम्न भूमि क्रय करने के अधिकारी हैं।
6. विक्रीत भूमि क्यारकुली भट्टा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है तथा नगर निगम सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

7- यह कि प्रश्नगत अन्तरित सम्पत्ति Real Estate (Regulation & Development) Act 2016 एवं तथा प्रख्याति Uttarakhand Real Estate (Regulation & Development) (General Rules 2017 में परिभाषित Real

२५८।२४

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 5376 वर्ष 2018

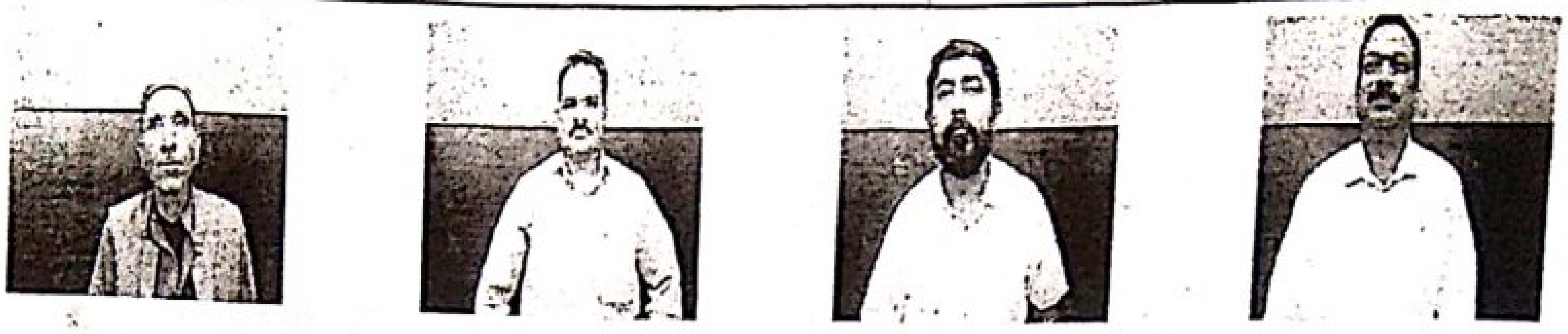

रतन सिंह | रमेश सिंह कठैत | जितेन्द्र सिंह रावत | राजेश सिंह अधिवक्ता

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय
09 Aug 2018

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Estate Project (Group Housing Mixed Development Project) (REsidential, Commercial and Industrial Projects, Commercial Project or Ploted Development Project) के अन्तर्गत नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति विक्रय किये जाने में विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार का रेरा (RERA) के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

8. यह कि विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर है, विक्रीत भूमि का निर्धारित सर्किल रेट 6,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर है, जिसके अनुसार भूमि का मूल्यांकन मु0 9,60,000/– रूपये बनता है जिस पर 5 प्रतिशत की दर से मु0 48,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क रूपये का स्टाम्प शुल्क e-Stamp के रूप में अदा किया जा रहा है।

9. यह कि प्रश्नगत अन्तरित भूमि Real Estate (Regulation & Development) Act 2016 एवं तथा प्रख्याति Uttarakhand Real Estate (Regulation & Development) (General Rules 2017 में परिभाषित Real Estate Project (Group Housing Mixed Development Project) (REsidential, Commercial and Industrial Projects, Commercial Project or Ploted Development Project) के अन्तर्गत नहीं है तथा उक्त भूमि विक्रय किये जाने में शपथकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का रेरा (RERA) के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

विवरण विक्रीत भूमि

एक खुला भूखण्ड भूमिधरी भूमि खाता सं0 106 खसरा संख्या 1227 क्षेत्रफल 0.0040 हैक्टेयर 40 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 1275 रकबा 0.0120 है0 अर्थात् 120 वर्गमीटर अर्थात् कुल रकबा 0.0160 है0 अर्थात् 160 वर्गमीटर, स्थित मौजा क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 09–08–2018 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। पढ़ुन राज़ा। फुट जोड़ा है।

25/8/21

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

विकेता का नाम एवं पता: श्री रतन सिंह पुत्र स्व0 श्री भाव सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

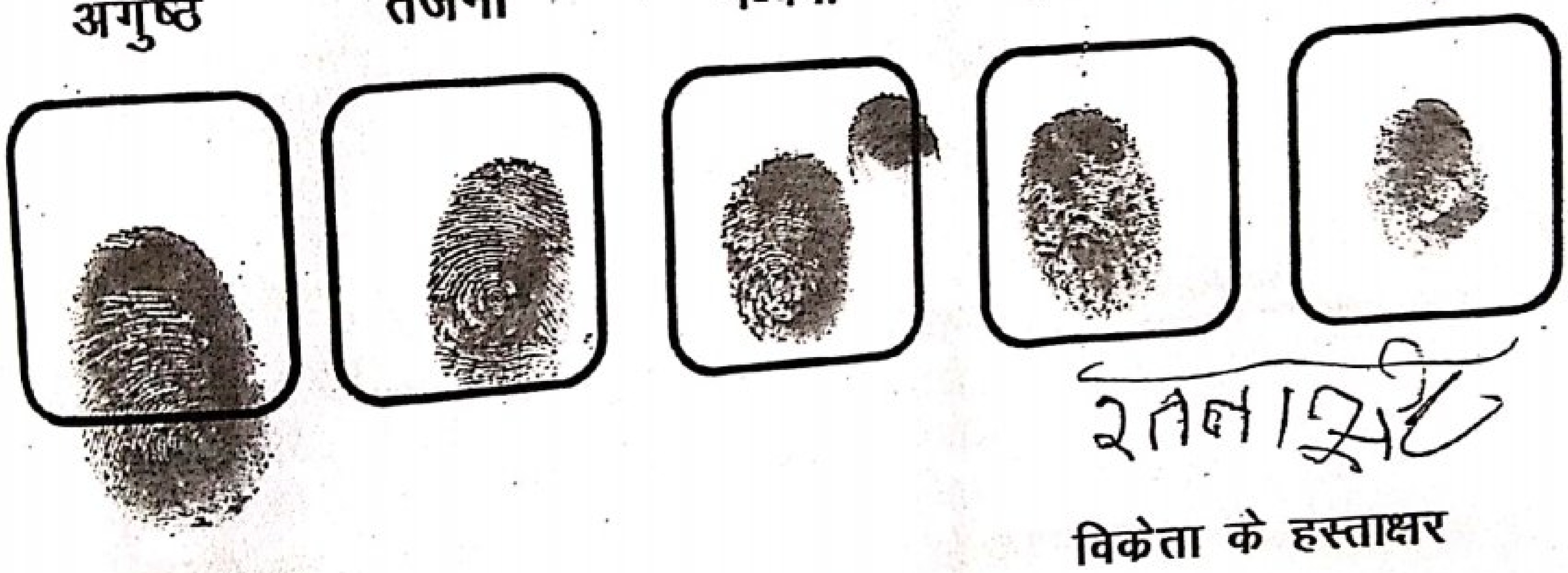

रतन सिंह

विकेता के हस्ताक्षर

केता का नाम एवं पता : श्री रमेश सिंह कठैत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी– ग्राम क्यारकुली भट्टा, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

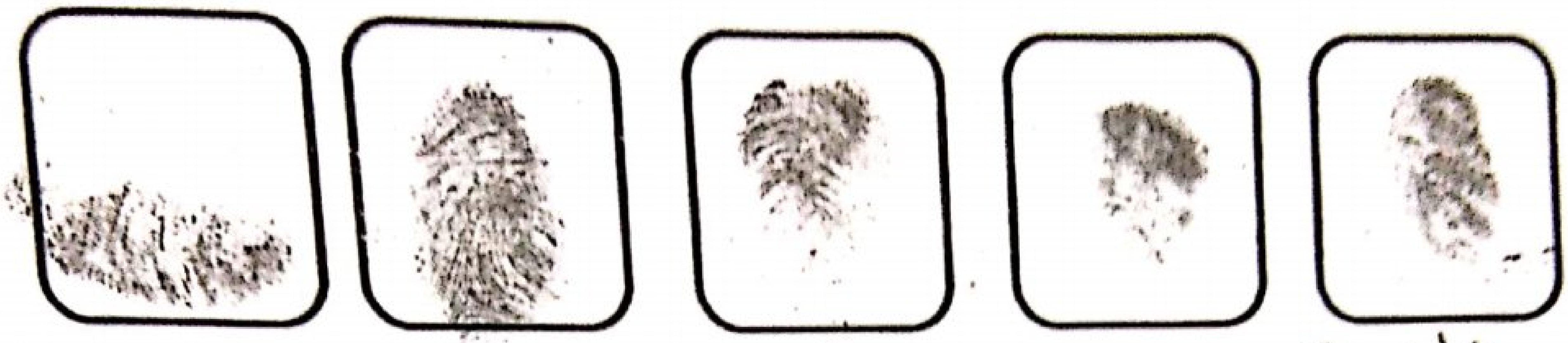

क्रेता के हस्ताक्षर

....
ह0 विक्रेता

....
ह0 क्रेता

गवाह 1..............
(जितेन्द्र सिंह रावत)
पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह रावत
निवासी—मसूरी झील
ग्राम क्यारकुली भट्टा
जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।
आधार कार्ड नं0 4843 2168 3435

गवाह 2..............
(राजेश सिंह)
एडवोकेट
रजि0 नं0 473/16
कोर्ट कम्पाउण्ड
देहरादून।

रचियता: विकास चन्द्रा एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Manoj Saili, *Advocate*
Resi: Enviorneal Cottage Estate,
Balahissar Mussoorie,
Distt. Dehradun, .
Uttarakhand.
Phone: (0135) 2632520,
9837080320

Off: No.1, Lawyers' Chambers,
Nagar Palika Road, Mussoorie.
Mussoorie, Distt. Dehradun,
Uttarakhand.
Phone: (0135) 2631520 (m)

Dated 26.12.2019

To,

The Senior/Chief Manager,
Bank of Baroda
The Mall Mussoorie.

Dear Sir/Madam,

REG: Title Opinion Report certifying non encumbrance of the property detailed all that open land in Bhoomidhari Bhoomi Khata No. 106 Khasra No. 1227, Rakba 0.0040 Hectrs or 40 sq. mtrs. and Khasra No. 1275 Rakba 0.0120 Hectrs. Or 120 sq. mtrs. total Rakba 0.0160 Hectrs. Or 160 sq. mtrs. is situated in Mauza Kiyarkuli Bhatta, Pargana Central Doon, Tehsil & Distt. Dehradun, U.K.

Refer to your letter dated 27-11-2019 requesting me to furnish non encumbrance and certify and submit the Title cum Opinion Report about the clear and marketable title to the above property to be mortgaged for securing the credit facility's granted/proposal to be granted to (borrower)- Mr. Ramesh Singh Kathait s/o late Gopal Singh Kathait, R/o village Kiyarkuli Bhatta, Pargana Centraldoon, Tehsil & Distt. Dehradun, Uttarakhand.

1. Description an Area of the property proposed to be mortgaged. Specific number(s) and address of property along with boundaries and measurements.	All that open land in Bhoomidhari Bhoomi Khata No. 106 Khasra No. 1227, Rakba 0.0040 Hectrs or 40 sq. mtrs. and Khasra No. 1275 Rakba 0.0120 Hectrs. Or 120 sq. mtrs. total Rakba 0.0160 Hectrs. Or 160 sq. mtrs. is situated in Mauza Kiyarkuli Bhatta, Pargana Central Doon, Tehsil & Distt. Dehradun, U.K.
2. Nature of Property (Whether Agricultural Non-Agricultural Commercial, Residential or Industrial) If non-Agricultural, the reference & date of conversion order from the competent authority should also be mentioned	Residential.
3. Name of the Mortgager/Owner and status in the Account i.e borrower(s) or guarantor and whether individual, Sole Proprietor, Partner, Director, Karta or Trustee. In case the Mortgager is partner/Director/ Trustee who is mortgaging the property on behalf of Partnership/ Company/ Company/ Trust, Whether he/she has the authority. Copy of the Resolution/Memorandum &	Mr. Ramesh Singh Kathait S/o late Gopal Singh Kathait, R/o village Kiyarkuli Bhatta, Pargana Centraldoon, Tehsil & Distt. Dehradun, Uttarakhand.

MANOJ SAILI ADVOCATE Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Articles of Association/Trust Deeds etc whether examined and verified.	
4. Whether any minor lunatic or un-dis charged insolvent is contacting Precautionarysteps to be taken.	Not applicable.
5. Whether the property is Freehold or Leasehold. If Lease hold then period of lease and if Freehold Whether Urban Land ceiling Act applies and permission to be obtained.	Free hold.
6. Source of Property i.e Self acquired or Ancestral. If Ancestral then mode of succession and Whether Original Will/Probate is available.	Self acquired
7. Whether the Mortgager is Co- Owner/Joint owner and/or any partition of the Property is made between the members of the family through Partition Deeds. If yes, Whether Original Registered Partition Deeds is available or it is only a family settlement.	Absolute owner
8. Whether the Mortgager is in exclusive possession of the property. Or it is leased/rented out to third party.	Exclusive owner in possession.
9. Whether the property is mutated in municipal/Revenue records and Mortgagor's name is reflecting and if not the reason thereof.	Mutation in Revenue Record Dehradun.
10. Whether any restriction for creation of mortgage is imposed under Central/State Local Laws.If yes then specify whose consent or permission would be required for creation of mortgage.	Not applicable.
11. Whether all the Original Title deeds including antecedent Title deeds and other relevant documents are available. Please give detailed list	Yes, Original deed dt. 09-08-2018, registered as book No.1, vol. 2262 on pages 123/146 as document No. 5376, in the office of S.R. III, Dehradun.
12. Whether the Advocate has personally visited the Sub Registrar/Revenue /Municipal office and examined the records.	Visited in the office of Sub Registrar Dehradun vide receipt No. 324/3 dated 28.11.2019 from 1989-2019
13. Whether the Search is being made for the period of 30 years. If no reason thereof.	Yes, Visited in the office of Sub Registrar Dehradun vide receipt No. 324/3 dated 28.11.2019 from 1989-2019
14.Details of documents examined/scrutinized (Which are in chronological order with serial numbers,type/nature of document date of execution, parties, date of registration details including the details of revenue/society records etc.)	Yes, Original deed dt. 09-08-2018, registered as book No.1, vol. 2262 on pages 123/146 as document no. 5376, in the office of S.R. III, Dehradun.
15. Tracing of chain of title in favour of the Mortgagor/owner starting from the earliest document available. The nature of	Original sale deed, Khata Khatoni should be deposited in the bank (Chain of title is attached separately)

MANOJ SETT ADVOCATE Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

document/Deed conveying the title should be mentioned with description of parties along with the type of right it creates.	
16. Whether there is any doubt/suspicious about the genuiness of the Original documents.If yes, then Specify.	No
17. The final Certificate of the Advocate confirming that title of the property's to be mortgaged is examined by him and the same is/are clear and marketable.	Title of the property is genuine and enforceable under law.
18. List of documents to be deposited for creation of Mortgage by the mortgagor including any additional document required in addition to the documents available.	Yes, Original deed dt. 09-08-2018, registered as book No.1, vol. 2262 on pages 123/146 as document no. 5376, in the office of S.R. III, Dehradun.
19. Whether any additional formalities to be completed by the proposed Mortgagor.If yes, state apecially in case of Flat(s) Property(s) in Co-op Societies whether allotment letter, possession letter share, certificate, affidavit, power of attorney etc. is required.	No

SARFAESI Act 2002 is applicable to the property.

Date: 26.12.2019.

MANOJ SAILI ADVOCATE Mussoorie

Signature of the Advocate

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ल्क वसूल करने की दिनांक 28-Nov-2019

जिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, देहरादून,प्रथम ------------------

(भाग--1)

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला) क्रम संख्या 324 / 3

लेख या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 28-Nov-2019

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम MANOJ SHELLY

लेख का प्रकार मुआयना 31 वर्ष (1,989 - 2,019)

प्रतिफल की धनराशि	0.00	
1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00	
2 प्रतिलिपि करण शुल्क	0.00	
3 इलैक्ट्रानिक शुल्क	0.00	Application No 17,384
4 निरीक्षण या तलाश शुल्क	100.00	
5 मुख्तारनामा के अभिप्रणालोकरण के लिए शुल्क	0.00	
6 कमीशन शुल्क	0.00	
7 नकल शुल्क	0.00	
8 विविध	5.00	
9 यात्रिक भत्ता	0.00	
10 कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00	
11 योग	105.00	

उप रजिस्ट्रार (प्रथम)

शुल्क वसूल करने की दिनांक 28-Nov-2019

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, देहरादून,प्रथम ------------------

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Brief History:

Whereas Sri Rattan Singh S/o Sri Bhav Singh R/o Village Bhatta Kyarkulli, Mussoorie, District Dehradun became Bhumidhar and his name has been entered in the revenue record.The ancestors of Sri Rattan are the recorded Bhumidhar since 1952. Thereafter Sri Rattan Singh sold the said property measuring 160 Sq.Mtrs. to Sri Ramesh Singh Kathait vide sale deed dated 09.08.2018 Document No. 5376/2018 registered in the office of sub registrar 3rd Dehradun and order for mutation has been passed in favour of Sri Ramesh Singh Kathaith.

28/12/19

MANOJ SAINI ADVOCATE Mussoorie

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner